राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

66वीं बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

65वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **65वीं** बैठक दिनांक **05** जून, 2018 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 16 अगस्त, 2018**
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 29 अगस्त, 2018**
3. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 31 अगस्त, 2018**
4. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 31 अगस्त, 2018**

लीड बैंक स्कीम - नवीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या FIDD.CO.LBS.BC.No.19/02.01.001/2017-18 दिनांक 06 अप्रैल, 2018, जो कि Revamp of Lead Bank Scheme के परिपेक्ष में है, के अनुरुप भारतीय रिजर्व बैंक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की सह-अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग उप-समिति का गठन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एजेण्डा में संशोधन के लिये किया गया है।
वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि उपरोक्त समिति में सदस्य होंगे। दिनांक 21 अगस्त, 2018 को आयोजित स्टेयरिंग सब-कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरुप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड का एजेण्डा पुनर्गठित किया गया है।

एजेण्डा संख्या - 1 : वित्तीय समावेशन : बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता

क) बैंक रहित गाँव - 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय आधारित संरचना से रहित एवं अपर्याप्त रुप से आच्छादित **484** गाँवों की सूची, जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक शाखा / ए.टी.एम. / बी.सी. / पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है अथवा नहीं, का परीक्षण अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा किया गया है। चिन्हित 484 गाँवों में 49 गाँवों में से बी.सी. / सी.एस.पी. के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 65वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से 49 स्थानों पर बी.सी. / सी.एस.पी. के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैं:

क्र.सं.	बैंक	गाँवों की संख्या	जिला स्तर पर समीक्षा के बाद excluded गाँवों की संख्या	बी.सी. द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदत गाँवों की संख्या	गाँवों की संख्या जहाँ बी.सी. नियुक्त हैं (क्लस्टर केंद्र)
1	भारतीय स्टेट बैंक	19	08	11	09
2	पंजाब नेशनल बैंक	06	-	06	04
3	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	17	-	17	09
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	01	-	01	01
5	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	03	-	03	01
6	नैनीताल बैंक	03	-	03	01
कुल		**49**	**08**	**41**	**25**

ख) <u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent) समीक्षा - बाधाएं तथा समाधान</u>

अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2018 को वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक में एस.एस.ए. के आधार पर लम्बित स्थानों पर बी.सी. की नियुक्ति हेतु चर्चा की गयी तथा बैंकों द्वारा बी.सी. की नियुक्ति में निम्नांकित बाधाएं संज्ञान में लायी गयीं।

1. विभिन्न एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता।
2. आर्थिक व्यवहार्यता के कारण बी.सी. / सी.एस.पी. का इच्छुक न होना।
3. कनेक्टिविटी की समस्या।

उपरोक्त बाधाओं के समाधान हेतु बैठक में निम्न सुझाव दिए गए :

1. बी.सी. / सी.एस.पी. का कार्य करने के इच्छुक राशन विक्रेताओं को बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त किए जाने का प्रयास हो।

2. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, विशेष रुप से महिला सदस्यों को बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त किए जाने का प्रयास हो।

3. संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर सक्षम युवक / युवतियों को बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त किए जाने का प्रयास हो।

4. स्वयं सहायता समूहों से बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त करने में सहायता हेतु जिला ग्रामीण विकास विभाग अथवा शासन स्तर पर उक्त विषयक सूची उपलब्ध कराते हुए पत्र द्वारा अनुरोध किया जाए।

<u>2000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों को क्लस्टर / एस.एस.ए. आधार पर बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना</u>

भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप के अनुसार 2000 से कम की आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. बैंकों को आबंटित किए गए थे, जिनमें से 808 क्लस्टर / एस.एस.ए. को वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधा से वंचित बताया गया

था, जिसका मुख्य कारण वी.-सैट की स्थापना न होना, बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल पाना अथवा पूर्व में नियुक्त बी.सी. / सी.एस.पी. द्वारा कार्य को छोड़ा जाना है।

इस विषय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैंकों से अद्यतन सूचना मांगी गयी, जिसके अनुरुप संबंधित बैंकों द्वारा वर्तमान में 1507 एस.एस.ए. में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की पुष्टि की गयी है तथा शेष 642 एस.एस.ए. में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सभी बैंक उन्हें आबंटित एस.एस.ए. में से लम्बित स्थानों पर बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त करने की कार्यवाही 30 सितम्बर, 2018 तक पूरी करें।

ग) <u>डिजीटल बैंकिंग - AADHAR PAY / BHIM / ATM / POS / VSAT / e-PAYMENT / INTERNET BANKING के माध्यम से लेन-देन को प्रोत्साहित करना :</u>

डिजीटल बैंकिंग के माध्यम से राज्य में जून, 2018 त्रैमास की प्रगति निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

कुल ट्रानजेक्शन संख्या	ट्रानजेक्शन धनराशि
2,84,88,441	46,985

(₹ In Crores)

Bank's APP				Other Modes of Payment			
UPI + BHIM + USSD APP		OTHER APPs		NET BANKING		OTHER MODES	
No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1174493	338	2190857	111	5829872	12256	19293219	33280

<u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप कनेक्टिविटी रहित **648** एस.एस.ए. में से सभी स्थानों के लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए थे तथा **496** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने के कार्य को पूरा किया गया है। अवशेष बचे **152** एस.एस.ए. में निम्न विवरणानुसार वी.-सैट स्थापित करने का कार्य अभी लम्बित हैं :

क्र.सं.	बैंक का नाम	कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. की संख्या जहाँ वी.-सैट स्थापित किए जाने हैं।	वी.-सैट स्थापित किए जा चुके एस.एस.ए. की संख्या	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	293	182	*111
2.	पंजाब नेशनल बैंक	25	03	**22
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	29	25	04
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21	19	02
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	05	04	01
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	01	01
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	09	06	03
8.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	254	246	08
9.	नैनीताल बैंक	10	10	-
कुल योग		**648**	**496**	**152**

* भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वी.-सैट स्थापित करने हेतु सभी आर्डर पूर्व में प्रेषित हैं एवम नाबार्ड द्वारा भी सैद्धांतिक स्वीकृति कर दी गयी है, परंतु आपूर्तिकर्ता **"Huge Company"** द्वारा उनके उपकरणों के आयात संबंधित समस्या होने के कारण वी.-सैट की **delivery** एवं **installation** में विलम्ब हो रहा है। आयात संबंधी समस्या का समाधान होते ही आपूर्तिकर्ता द्वारा वी.-सैट उपलब्ध कराना सूचित किया गया है।

** दिनांक 27 जुलाई, 2018 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके स्तर से पुन: दूसरी कंपनी के वी.-सैट लगवाने हेतु सर्वे अन्य वैण्डर्स से कराया गया था, जिसमें वैण्डर्स द्वारा वी.-सैट स्थापना हेतु असमर्थता व्यक्त की गयी। इस विषयक दिनांक 16 अगस्त, 2018 को अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित वित्तीय समावेशन की उप-समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत संचार निगम लि. के साथ अतिशीघ्र एक बैठक का आयोजन अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता मे किया जाए, जिसमें राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभाग करें एवं स्थिति को स्पष्ट कर लिया जाए।

नाबार्ड के परिपत्र संख्या डीएफआईबीटी/5418-5813/डीएफआई-23/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वी.-सैट स्थापित करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च, 2018 को बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 तक कर दिया गया है, जिसे संबंधित बैंकों को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। अत: संबंधित बैंक निर्धारित अवधि में अनिवार्य रुप से समस्त एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करते हुए नाबार्ड को प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

घ) <u>डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी.बी.टी.) - आधार सीडिंग व वित्तीय समावेशन</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास (जून, 2018) तक डी.बी.टी. के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उनके खातों को आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य है, जिसकी प्रगति / स्थिति निम्नवत है :

		मार्च, 2018	जून, 2018
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	23,28,120	23,56,819
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई खातों में आधार सीडिंग की संख्या .	16,60,089 **(71.31%)**	17,06,616
घ)	शून्य राशि के पी.एम.जे.डी.वाई. खातों की संख्या		2,52,222
ङ)	आधार सीडिंग योग्य खातों की संख्या		21,04,597 **(81.09%)**
च)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या **1. कुल बचत खातों की संख्या - 1,21,37,524** **2. उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या - 1,00,86,290** **3. आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष की जनसंख्या - 19,83,665** **4. आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या (2-3) - 81,02,625**	91,19,345 **(75.13%)** **(90.41%)**	95,93,358 **(79.04%)** **(95.11%)**
छ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	18,66,577	20,03,169
ज)	अवितरित (**Undelivered**) रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	72,305	62,132

राज्य में MGNREGA में ABPS के आधार पर 6,94,055 कामगारों को DBT के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि फ्रोजन खातों के सापेक्ष **80.61%** है।

<u>राज्य में आधार पंजीकरण केंद्र :</u>

यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा चयनित केंद्र - **230**
कार्यरत केंद्र - **152**

<u>वित्तीय साक्षरता कैम्प द्वारा जागरुकता :</u>

डी.बी.टी. के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता कैम्पो के माध्यम से भी जनसाधारण को जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

<u>ग्राम स्वराज अभियान - द्वितीय चरण 01.06.2018 से 15.08.2018 तक (695 गाँव)</u>

जिला हरिद्वार तथा उधम सिह नगर में अभियान अवधि के दौरान बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत की गयी प्रगति निम्नवत है :

योजना का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
प्रधानमंत्री जन-धन योजना	34557	40222	116%
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	49463	56685	115%
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	29512	32261	109%
योग	**113532**	**129168**	**113%**

दिनांक 16 अगस्त, 2018 को बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राम्य स्वराज अभियान - 2 के अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बैंकों की प्रशंसा की गयी।

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जून, 2018 त्रैमास की प्रगति निम्नवत है :

सुरक्षा बीमा योजना	**आच्छादित खातों की संख्या**	
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा	(दिनांक 01.06.2018 से नवीनीकरण अथवा नये)	12,36,398
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा	--- तदैव --	3,65,564
अटल पेंशन		88,158

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं अन्य बैंको के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शून्य अथवा कम शेष वाले खातों में प्रीमियम की राशि के लिये शासन से सहयोग की अपेक्षा की गयी, जिससे कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खातों के अधिकतम लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाया जा सके, जिसका सभी उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों द्वारा समर्थन व्यक्त किया गया।

एजेण्डा संख्या - 2 : बैंकों द्वारा ऋण वितरण

क) वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि " SLBC - 03 "

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के निर्धारित लक्ष्य **₹ 20025.54 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 3721.12 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में निम्नवत दर्ज की गयी है, जो कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का **19%** है, तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम तिमाही हेतु निर्धारित मानक 15% को पूरा करता है।

(₹ करोड़ों में)

मद	जून, 2017			जून, 2018		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6524.51	1101.33	17%	7037.05	1270.72	18%
सावधि ऋण	3225.14	336.00	10%	3643.46	343.81	9%
फार्म सेक्टर (कुल)	**9749.65**	**1437.33**	**15%**	**10680.51**	**1614.53**	**15%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4937.81	881.89	18%	6102.48	1270.89	21%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3781.34	1178.48	31%	3242.54	835.70	26%
कुल योग	**18468.80**	**3497.70**	**19%**	**20025.54**	**3721.12**	**19%**

ख) सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति -

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM INDIVIDUALS) : " SLBC - 16 एवं 16 A "

एन.यू.एल.एम. व्यक्तिगत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2018-19** में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
1182	**449**	**239**	**179**	**302.68**	**15**	**195**

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह (NULM GROUPS) : " SLBC - 17 एवं 17 A "

एन.यू.एल.एम. समूह के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2018-19** में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
18	**9**	**8**	**0**	**0**	**0**	1

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : **" SLBC - 18 "**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में **"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन"** के अंतर्गत बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	स्वीकृत राशि	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
4319	**643**	**217**	**179**	**92**	**56**	**21**	**405**

लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की बैंकवार / शाखावार सूची सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा निस्तारण हेतु संबंधित बैंकों को प्रेषित कर दी गयी थी।

दिनांक 29 अगस्त, 2018 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सुझाव दिया गया कि एन.आर.एल.एम. के ऋण आवेदन पत्रों की प्रभावी एवं त्वरित निगरानी हेतु एक ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाए।

प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) ऋण योजना : **" SLBC – 28 "**

वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही की समाप्ति पर सभी बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	जून, 2017				जून, 2018			
		निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋण संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	%
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	7224	24.12	12.50	177.92	15402	44.92	25.25
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	6489	128.94	15.00	840.14	7539	176.42	21.00
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	1619	112.93	13.21	906.78	1878	152.74	16.84
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**9492**	**265.99**	**14.03**	**1924.84**	**24819**	**374.06**	**19.43**

योजनांतर्गत दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक **39,669** लाभार्थियों को **₹ 685.09 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : **" SLBC – 7 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र	अनुदान वितरण का लक्ष्य	अनुदान वितरण राशि
DIC - 476	623	391	318	1473.05	33	185	1190.16	481.07
KVIC - 357	152	123	91	630.83	14	26	892.62	212.05
KVIB - 357	254	185	160	910.85	12	60	892.62	295.17
योग - 1190	**1029**	**699**	**569**	**3014.73**	**59**	**271**	**2975.40**	**988.29**

बैंक नियंत्रकों से अनुरोध है कि शाखा स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : **" SLBC – 9 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन - 200	31	13	11	104.40	02	16
गैर-वाहन - 200	36	03	03	39.38	08	25
कुल योग - 400	**67**	**16**	**14**	**143.78**	**10**	**41**

जून, 2018 त्रैमास की समाप्ति के उपरांत पर्यटन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को योजनांतर्गत जिलेवार / बैंकवार / शाखावार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसे सभी संबंधित बैंक नियंत्रकों को इस आशय से प्रेषित कर दिया गया था कि वे लम्बित आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

<u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना</u> (पर्यटन विभाग) :

उत्तराखंड सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2018 को दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 की अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसके अंतर्गत आगामी तीन वर्षों के लिए **5000** होम स्टे बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में **2000** होम स्टे विकसित किए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत होम स्टे निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किए जाने पर नियमानुसार अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के पत्र संख्या 781/2-7-129-2018 दिनांक 05 जून, 2018 के पैरा संख्या 4 बिंदु संख्या 3, जिसके अंतर्गत "गृह आवास स्थापित किए जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तित

किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड ने भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के माध्यम से शासन से आग्रह किया गया था, ताकि सुगमतापूर्वक योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत किए जा सकें।

इसी अनुक्रम में सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2018 को बैंकों के साथ समस्त जिला पर्यटन अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गयी। बैठक में सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड द्वारा नये निर्माण, नवीनीकरण तथा विस्तार कराने हेतु ऋण आवेदन पत्रों पर पर्यटन विभाग के पत्र संख्या 781/2-7-129-2018 दिनांक 05 जून, 2018, के **पैरा संख्या 4 बिंदु 3** के संदर्भ में **सरफेसी एक्ट 2002 (SARFAESI ACT 2002)** के प्रावधानों के अनुपालन के विषयक बैंकों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया तथा गृह ऋण के अंतर्गत ऋण हेतु आय के स्रोत की पुष्टि हेतु आयकर विवरणी का नियम संज्ञान में लाया गया, जिस पर सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड ने स्थिति स्पष्ट कर निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

<u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : **" SLBC - 44 "**

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
30 जून, 2017 तक सभी बैंकों द्वारा योजनांगतर्गत दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

	मद	वित्तीय वर्ष 2018-19 30 जून, 2018 तक की प्रगति का विवरण			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की कुल प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	स्वीकृत राशि	कुल ऋण वितरित आवेदन	कुल वितरित ऋण राशि
1.	महिला	56	56	15.93	951	209.19
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति	09	09	2.62	156	32.55
	योग	65	65	18.55	1107	241.74

<u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> : **" SLBC -14 "**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1750	93	91	86	171.46	01	01

इस योजना में लक्ष्य के सापेक्ष में बहुत कम संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। अत: संबंधित विभाग से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

<u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : **" SLBC - 15 "**

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

योजना	वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
अनुसूचित जाति	1459	360	175	137	56.15	14	171
अनुसूचित जनजाति	100	16	06	06	3.15	-	10
अल्पसंख्यक समुदाय	454	13	12	00	00	-	01
कुल	**2013**	**389**	**193**	**143**	**59.30**	**14**	**182**

ग) <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना</u> (PMAY) " SLBC – 27 "

<u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई ऋण</u>

सभी बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत जून, 2018 त्रैमास में **₹ 6102.48 करोड़** के सापेक्ष **₹ 1270.89 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जो लक्ष्य का **20.82 प्रतिशत** है, जिसका सकल योग निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग (Outstanding)
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1496	3417	2244	5126	1970	1578	5710	10121	15831

जून, 2018 तिमाही तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के अंतर्गत कुल रु. **15,831 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या **FIDD/CO-LBS No.3671/02.01.01.2017-18** दिनांक 30 मई, 2018 के अनुसार एम.एस.एम.ई. सेक्टर के सेवा क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र हेतु ऋण की अधिकतम सीमा, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए **₹ 5.00 करोड़** तथा मध्यम इकाइयों के लिए ₹ **10.00 करोड़** थी, की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या वि.स.वि./एम.एस.एम.ई. संख्या / 423 / 02.02.05/2017-18 दिनांक 02 जून, 2015 के अनुक्रम में उत्तराखंड राज्य में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के तनावग्रस्त ऋणों (stress assets) की समीक्षा करने के लिए उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 26 जुलाई, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में समिति की बैठक का आयोजन किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 अगस्त, 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु बैंक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> : **" SLBC - 48 "**

Scheme Parameters	EWS	LIG	MIG - 1	MIG - 2
परिवार की वार्षिक आय	₹ 3.00 लाख तक	₹ 6.00 लाख तक	₹ 6.00 लाख से ₹ 12.00 लाख तक	₹ 12.00 लाख से ₹ 18.00 लाख तक
अधिकतम कारपेट एरिया	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर	160 वर्ग मीटर	200 वर्ग मीटर
सम्पत्ति का स्वामित्व	महिला एकल / संयुक्त अधिकार	महिला एकल / संयुक्त अधिकार	कोई शर्त नहीं	कोई शर्त नहीं

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास में योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाख में)

ग्राहकों से सीधे बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र / शाखा स्तर पर स्वीकृत		विभाग द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र					सकल स्वीकृत	
		प्राप्त	स्वीकृत		निरस्त / वापिस	लम्बित		
संख्या	राशि	संख्या	संख्या	राशि	संख्या	संख्या	संख्या	राशि
502	**6766.72**	**1784**	**36**	**261.50**	**348**	***1400**	**538**	**7028.22**

* विभाग द्वारा प्रेषित EWS / LIG वर्ग के आवेदकों के ऋण आवेदन पत्रों के लम्बित होने का मुख्य कारण बैंक द्वारा पट्टे की भूमि होना तथा आय के स्रोत का उपलब्ध ना होना बताया गया है, क्योंकि उक्त ऋण बैंकों की सामान्य आवास ऋण योजना के अनुरुप स्वीकृत किये जाने हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल एजेन्सी द्वारा वितरित अनुदान का विवरण :

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	738	7181.00	1542.50
हुडको	27	259.07	66.69
योग	**765**	**7440.07**	**1609.19**

घ) <u>किसान क्रेडिट कार्ड / फसली ऋण / फसल बीमा (पीएमएफबीवाई)</u> **" SLBC - 5 "**

<u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना</u> -

30.06.2018 तक की प्रगति निम्नानुसार है:

वर्ष 2018-19 के.सी.सी. लक्ष्य	01.04.2018 से 30.06.2018 तक जारी किए गए कार्ड	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	30.06.2018 तक कुल जारी किए गए कार्डों की संख्या	30.06.2018 तक वितरित राशि (₹ करोड़ों में)
1,00,000	39248	39.24%	491679	6520.58

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

अद्यतन सूचना के अनुसार समस्त बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना / मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2018 के अंतर्गत संसूचित फसलें यथा धान, मण्डुवा, आलू, अदरक, टमाटर, फ्रासबिन एवं मिर्च के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार 31 जुलाई, 2018 तक **1,33,450** कृषकों को, जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मौसम आधारित फसल बीमा में क्रमश: **90,344** तथा **43,106** पात्र कृषकों के ऋण खातों को बीमा से आच्छादित किया गया है।

बैंकों द्वारा मौसम खरीफ 2018 में आच्छादित कृषकों का डाटा भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **<u>www.pmfby.gov.in</u>** पर अपलोड करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अब तक **1,22,654** आच्छादित कृषकों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जो कि बीमित कृषकों का **92%** है तथा शेष में आच्छादन एवं अपलोडिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30.06.2018 तक की प्रगति एवं क्लेम वितरण **" SLBC - 22 "**

(₹ लाखों में)

कुल फसली ऋण वितरित	अधिसूचित फसलों का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित	लाभान्वित कृषकों की संख्या
127071.62	24546.87	36028	245. 58	185.62	8049

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30.06.2018 तक की प्रगति **" SLBC - 23 "**

(₹ लाखों में)

कुल फसली ऋण वितरित	अधिसूचित फसलों का बीमा	बीमित कृषकों की संख्या	प्राप्त प्रीमियम राशि	क्लेम वितरित	लाभान्वित कृषकों की संख्या
127071.62	16664.94	40662	833.25	2309.46	34307

योजना के अन्तर्गत खरीफ - 2017 में **42,356** किसानों को **₹ 24.95 करोड** का फसली बीमा क्लेम वितरण करना, NIA कंपनी द्वारा सूचित किया गया है।

ङ) शिक्षा ऋण स्वीकृति की प्रगति **" SLBC - 40 "**

राज्य में वितरित शिक्षा ऋण की स्थिति निम्न प्रकार है **:**

(₹ लाखों में)

01.04.2018 से 30.06.2018 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या	01.04.2018 से 30.06.2018 तक स्वीकृत राशि	30.06.2018 तक कुल स्वीकृत ऋणों की संख्या	30.06.2018 तक कुल स्वीकृत राशि
1780	8176.03	35885	111143.50

एजेण्डा संख्या - 3 : <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> **" SLBC - 47 "**

नाबार्ड के Potential Linked Plan के साथ सार्थक रणनीति तैयार करते हुये वर्ष 2018-19 में राज्य के लिए वार्षिक ऋण योजना बनायी गयी है। वर्ष 2018-19 हेतु राज्य की वार्षिक ऋण योजना में कुल बजट **₹ 20,025 करोड** में से **50 प्रतिशत** से अधिक **₹ 10,053 करोड़** कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों हेतु बजट रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/2018-19/5 FIDD.CO.LBS.BC. No.2/02.01.001/2018-19 दिनांक 02 जुलाई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशानुसार निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य किया जाना है।

कृषि से संबंधित अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, फ्लोरीकल्चर एवं हार्टिकल्चर आदि के लिए अधिकाधिक ऋण वितरित किए जाने हैं, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास में बैंकों द्वारा निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**मद**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या (2018-19)**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों में वितरित ऋण राशि**
1.	डेयरी	1791	28.20
2.	मुर्गी पालन	19	1.52
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	42	2.86
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	239	2.87
5.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	521	11.48
6.	कृषि यंत्रिकरण	1070	12.83
7.	अन्य	16265	281.17
कुल योग		**20109**	**340.93**

इसके अतिरिक्त फसली ऋणों के वार्षिक लक्ष्य **₹ 7037 करोड़** के सापेक्ष **₹ 1270 करोड़** का ऋण वितरण किया गया, जो कि लक्ष्य का **18%** है।

कृषकों को कम लागत पर फसल बीमा योजना की सुविधा प्रदान करते हुये जोखिम को न्यूनतम किया जाय, जिससे अधिकाधिक किसान लाभान्वित हो सकें ।
कोल्ड स्टोरेज आदि के माध्यम से सम्भावित फसली नुकसान **(Post Harvest)** को रोकना, जिसके लिये अधिकाधिक कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएं।

नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं बैंकों के साथ State Level Campaign Workshop FPO Promotion का आयोजन दिनांक 27 जुलाई, 2018 को किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से किया गया था। बैंकों द्वारा **57** में से **12** FPO को वित्तपोषित किया गया है।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>ऋण-जमा अनुपात</u> **" SLBC – 01"**

ऋण-जमा अनुपात - राज्य एवं जिला स्तरीय उप-समिति में **40%** से कम उपलब्धि पर समीक्षा :

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	जून, 2018
पिथौरागढ	105	35%
रुद्रप्रयाग	54	26%
टिहरी	134	24%
पौड़ी	197	24%
अल्मोड़ा	147	23%
बागेश्वर	51	29%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें एवं सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कराएं, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>गैर-निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.)</u> **" SLBC – 30 "**

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिम		30.06.2018 तक कुल एन.पी.ए.		प्रतिशत
संख्या	राशि	संख्या	राशि	5.43%
15,16,790	62,959.01	1,98,548	3,417.36	

<u>क्षेत्रवार विवरण (Segmental Details)</u> :

(₹ करोड़ में)

अवधि	कृषि क्षेत्र		एम.एस.एम.ई.		व्यैक्तिगत		अन्य क्षेत्र		कुल एन.पी.ए.	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
31.03.2018 तक की स्थिति	86202	934.67	47721	1373.41	34573	443.02	9593	309.78	178089	3060.88
01.04.2018 से 30.06.2018 की अवधि में नये एन.पी.ए. खाते	18980	240.97	20386	374.86	6113	115.69	805	38.85	46284	770.38
01.04.2018 से 30.06.2018 तक एन.पी.ए. की वसूली	13160	194.89	6518	135.38	5751	63.51	396	20.11	25825	413.90
30.06.2018 तक सकल एन.पी.ए.	**92022**	**980.75**	**61589**	**1612.98**	**34935**	**495.19**	**10002**	**328.51**	**198548**	**3417.36**
कुल एन.पी.ए. में %		**28.69**		**47.20**		**14.50**		**9.61**		

सभी बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. खातों की विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रत्येक त्रैमास में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सरकारी योजनाओं के अंतर्गत गैर- निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध ऑन-लाइन वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति -</u> **"SLBC - 39A, 39B"**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018 से पूर्व उत्तराखंड शासन, राजस्व अनुभाग - 1, पत्र संख्या XVIII(1)/2018-07(37)/2015 देहरादून दिनांक 23 मई, 2018 के द्वारा "उत्तराखंड राज्य के समस्त जिलों की तहसीलों के बैंकों में कृषि भूमि के अभिलेखों में कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों हेतु लिए ऋण से संबंधित वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाइलिंग किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी। बैंकों द्वारा ऑन-लाइन फाइलिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

30 जून, 2018 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	11843	165.32
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	19365	227.84
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	4316	28.88
पाँच वर्ष से अधिक	3476	42.23
कुल लम्बित आर.सी.	**39000**	**464.27**
01.04.2018 से 30.06.2018 तक वसूली की स्थिति	**4189**	**39.77**

वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में **4189** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष **₹ 39.77 करोड़** की राशि वसूल की गयी, जो कि कुल लम्बित राशि का मात्र **8.57%** है।

शासन से अनुरोध है कि लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली को गति प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि प्राप्त राशि का उपयोग नये ऋण वितरण में किया जा सके।

<u>उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - प्रतिवेदन :</u>

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित पत्र संख्या 2018/यू.जी.बी./एच.ओ./एडीवी/517 दिनांक 12 जून, 2018 के माध्यम से अनुरोध किया कि गैर-निष्पादित अस्तियाँ (एन.पी.ए.) खातों में जारी वसूली प्रमाण पत्रों में सर्किल रेट पर ही बंधक भूमि की बिक्री संबंधी अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, जिससे बैंक के पास बंधक रखी गयी भूमि की नीलामी निर्बाध रुप से हो सके तथा एन.पी.ए. खातों में वसूली संभव हो सके क्योंकि सर्किल रेट पर खरीददार न होने के आधार पर वसूली प्रमाण पत्रों को वापिस किये जाने के प्रकरण संज्ञान में लाये गये हैं ।

उक्त संबंध में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा निवेदन किया गया है कि बंधक भूमि की नीलामी संबंधी कार्यवाही सरफेसी एक्ट 2002 (SARFAESI ACT) के अनुरुप अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार ही प्रारम्भ किया जाए, जिसमें कि प्रथम नीलामी - सर्किल रेट पर प्रारम्भ करने के पश्चात यदि खरीददार नहीं उपलब्ध होते हैं तो अगली नीलामी सर्किल रेट में 20 प्रतिशत कम पर की जाए, फिर भी यदि क्रेता उपलब्ध न हो, तो नीलामी हेतु निर्धारित मूल्य में पुन: 10 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, जब तक कि क्रेता उपलब्ध न हो जाए। उक्त कमी जमीन की बिक्री संभव होने तक जारी रखी जानी चाहिए, जिससे बैंक ऋणों की वसूली संभव हो सके। यह भी प्रकरण संज्ञान में लाया गया है कि कुछ केस में, बैंक के पक्ष में बंधक भूमि को गैर-कानूनी रुप से विक्रय कर दिया जाता है, अत: शासन स्तर से इसकी रोकथाम हेतु समुचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

एजेण्डा संख्या - 6 : **केंद्र / राज्य एवं भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियाँ**

उद्योग, एमएसएमई, कृषि, स्टार्ट-अप एवं अन्य नीतियाँ - बैंक से संबंधित बिंदुओं **पर चर्चा**

एजेण्डा संख्या - 7 : ग्रामीण अवस्थापना

क) ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हेतु नये प्रोजेक्ट .....

ख) विभिन्न योजनाओं में नये सहयोगी बैंक

उत्तराखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 से निम्नलिखित तीन नए बैंकों द्वारा कार्य आरम्भ किया गया है तथा माइक्रो फाइनेन्सिंग के क्षेत्र में निम्नवत प्रगति दर्ज की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	जमा धनराशि	ऋण राशि	ऋण-जमा अनुपात
1	उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक	20	441	59	13
2	उज्जीवन स्माल फ़ाइनेंस बैंक	01	01	08	593
3	आई.डी.एफ.सी. बैंक	01	19	-	-

ग) क्षेत्रीय एवं समूह स्तरीय योजनाएं .....

घ) कृषि एवं ग्रामीण स्तरीय अवस्थापना - गोदाम, बागवानी एवं फूड एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग क्रियाकलापों के अंतर्गत बैंकों की प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	संख्या	ऋण राशि
1	स्टोरेज, गोदाम / मार्केट यार्डस	395	516.10
2	प्लांटेशन एण्ड हार्टिकल्चर	239	287.08
3	फूड एण्ड एग्रो प्रोसेसिंग	521	1148.35

शासन से अनुरोध है कि प्रस्तावित शीत भण्डारण एवं फूड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की सूची उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।

ङ) <u>मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016</u>

ऐसे व्यक्ति जो कृषि कार्यों में संलिप्त हैं, परंतु उनके पास कृषि योग्य भूमि की उलपब्धता या तो नहीं है अथवा कम है तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास कृषि भूमि उपलब्ध है, लेकिन वे कृषि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, के विषय में नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा मॉडल लैण्ड लीजिंग एक्ट 2016 की एक कार्ययोजना तैयार की गयी है, जिसके अंतर्गत **Tenant Farming** का प्रावधान है, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने एवं कृषकों की आय को दोगुना करने में सहायक होगा। वर्तमान में **₹ 1.50 लाख** तक की राशि पर कृषि ऋण के लिए कृषि भूमि को बंधक रखने का प्रावधान नहीं है।

शासन से अनुरोध है कि सभी हितधारकों से समन्वय स्थापित करते हुए तथा मॉडल लैण्ड लीज एक्ट 2016 को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए एक लैण्ड लीज एक्ट बनाया जाए, जो कि कृषि उत्पादों में वृद्धि के साथ-साथ किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो।

एजेण्डा संख्या - 8 : <u>कौशल विकास मिशन</u>

कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) / बागवानी मिशन / नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एस.डी.सी.) / ए.एस.सी.आई. पर चर्चा। आरसेटी के सहयोग व प्रभाव का आंकलन एवं क्रियाकलापों की समीक्षा।

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **262** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6899** अभ्यर्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष **65** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **1818** अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का %	बैंक द्वारा वित्तपोषित स्वरोजगारियों की संख्या	रोजगार %
01.04.2018 से 30.06.2018 तक	65	1818	714	**39%**	448	**63%**
01.04.2011 से 30.06.2018 तक	1503	47300	32009	**68%**	13800	**43%**

उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा 40 प्रकार के उद्यम / रोजगार स्थापित करने की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने अनुमोदित किए गए हैं।

जून, 2018 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**लम्बित राशि**
1	2016-17	209	**3.71**
2	2017-18	470	18.55
3	2018-19	215	13.13
4	**कुल योग**	**894**	**35.39**

जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या 1098/12-जैड.ए.सी./2018 दिनांक 20 अगस्त, 2018 के अनुसार आरसेटी संस्थान, नैनीताल को ग्राम कुंवरपुर तहसील हल्द्वानी के खाता संख्या 71 मध्ये 0.150 हैक्टेयर भूमि स्थानांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, इसके लिये हम शासन का धन्यवाद करते हैं ।

आरसेटी, टिहरी के संदर्भ में जिला प्रशासन टिहरी द्वारा उनके पत्र संख्या 02/रा.का.(भू.उप.)/2017 आरसेटी टिहरी दिनांक 01 जनवरी, 2018 द्वारा नई भूमि आबंटन में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा पूर्व आबंटित भूमि पर निर्माण हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, के भवन निर्माण हेतु पूर्व आबंटित / चयनित भूमि के स्थान पर नयी भूमि का आबंटन किया जाना प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या - 9 : <u>भूलेखों में सुधार एवं निर्वाध ऋण वितरण</u> :

क) <u>भूलेखो का डिजीटाइजेशन :</u>

इस विषय में राजस्व विभाग से अनुरोध है कि भूलेखों के डिजीटाइजेशन से संबंधित अद्यतन जानकारी सदन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

ख) <u>बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना</u> :

(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

दिनांक 27 जुलाई, 2018 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एन.आई.सी. के प्रतिनिधि द्वारा **104** तहसीलों में भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार की प्रक्रिया पूरी किए जाने की पुष्टि की गयी है तथा शेष **3** तहसीलों (नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर / त्यूनी, जिला देहरादून / ख्यान्सु, जिला नैनीताल) में ऑन-लाइन भूमि अभिलेखों पर प्रभार अंकित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

ग) <u>निर्बाध ऋण वितरण :</u>

सभी 104 तहसीलों में भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित किए जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है, जिससे कि बैंकों द्वारा भूमि बधंक रखकर ऋण देने की स्थिति में समय की बचत होगी, किसी प्रकार की चूक / धोखाधड़ी एवं दोहरे वित्तपोषण को रोका जा सकेगा, जिससे वित्तीय संस्थानों के हित सुरक्षित रहेंगे।

एजेण्डा संख्या - 10 : <u>जिले में उद्यमियों की सफलता चर्चा :</u>

पिथौरागढ़ जिले के एस.एस.ए. मनकटिया के अंतर्गत 13-14 गाँवों में नाबार्ड द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं एवं उत्पादों को उपलब्ध कराने विषयक सर्वे करते हुए, उक्त सुविधाओं से वंचित लोगों को आच्छादित किया जा रहा है। नाबार्ड से अनुरोध है कि इस संबंध में प्रस्तुतीकरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आरसेटी संस्थाओं द्वारा विभिन्न उद्यमियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्यम स्थापित करने की सफलता वार्षिक पत्रिका में प्रेषित की गयी हैं।

अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अपने-अपने जिले से संबंधित सफलता की कहानियों को वार्षिक पत्रिका में प्रस्तुत किया गया है, ताकि उनकी सफलता से प्रेरित होकर बेरोजगार नवयुवक बैंकों से ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार सृजित कर सकें।

एजेण्डा संख्या - 11 : <u>वित्तीय बाजार की जानकारियाँ</u>

क) <u>पूँजी योजनाएं - जनता से जमा योजनाओं में धोखाधड़ी</u>

राज्य में कंपनियों द्वारा कम समय में अधिक धन कमाने का लालच देकर जमाकर्ताओं की धनराशि लेकर गायब हो जाने की घटनाओं को देखते हुए संबंधित विभागों / भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि चिटफण्ड कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु उपायों को कठोर करें। सभी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में इस संबंध में विशेष रुप से सजग किया जाए।

ख) <u>साइबर धोखाधड़ी - फिशिंग इत्यादि</u>

राज्य में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें तकनीकी का दुरुपयोग करते हुए किसी की बैंक संबंधी निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी में फेरबदल करना, किसी की पहचान का गलत प्रयोग करना, ऑन-लाइन ठगी करना जैसे मामलों में बैंकों की प्रतिष्ठा के साथ-साथ राज्य के नागरिकों को भी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। अत: सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे बैंक ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए ग्राहकों को जागरुक व सावधान करने हेतु समुचित जानकारियाँ समय-समय पर प्रचारित करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में भी जागरुकता अभियान दिनांक 04 जून, 2018 से 08 जून, 2018 तक आयोजित किया गया था।

ग) <u>विभिन्न ऋण योजनाओं में धोखाधड़ी</u>

इस संबंध में कोई सूचना संज्ञान में नहीं आयी है। अत: सूचना निरंक है।

घ) <u>ऋणीयों द्वारा कर्ज संबंधी धोखाधड़ी</u>

सभी वित्तीय संस्थाओं से अनुरोध है कि उनके नियंत्रणाधीन शाखाओं में इस प्रकार की गतिविधियाँ होने पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी इसकी सूचना उपलब्ध कराएं, जिससे कि आवश्यकतानुसार उस सूचना को सदन पटल पर रखा जा सके।

एजेण्डा संख्या - 12 : <u>जनहित याचिका संख्या 105/2017 डा. गणेश उपाध्याय बनाम भारत संघ व अन्य के संबंध में</u>

उपरोक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार "बैंकों, राज्य सरकार एवं हितधारकों के साथ परामर्श से कृषि ऋण दिए जाने, वसूली तथा किसानों द्वारा आत्महत्या की स्थिति में ऋण की छूट के विषय में एक योजना विकसित करने" के संबंध में एक बैठक सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को आहूत की गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि बैठक के निर्णय से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

यद्यपि गैर-निष्पादित अस्तियों के समाधान के लिए बैंकों द्वारा समय-समय पर अपनी योजनाएं लायी जाती रहीं हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लायी गयी ऋण समाधान योजना दिनांक 01 अगस्त, 2018 से 30 नवम्बर, 2018 तक प्रभावी है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भी लक्ष्य कृषि के नाम से एन.पी.ए. ऋणों के समाधान हेतु योजना चलायी जा रही है। उक्त दोनों बैंकों की योजना का लाभ पात्र कृषकों को प्रदान करने हेतु पत्र व संपर्क अभियान द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

एजेण्डा संख्या - 13 : <u>डीसीसी / डीएलआरसी बैठक</u>

<u>जिला स्तरीय बिंदुओं के समाधान हेतु समीक्षा</u> -

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को अग्रणी बैंक योजना को पुर्नरीक्षित किया है तथा विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किए हैं। पुर्नरीक्षित योजना के तहत एस.एल.बी.सी./डी.सी.सी./ बी.एल.बी.सी. बैठकों की संरचना, एजेण्डा तथा डाटा प्रणाली को सशक्त बनाते हुए ऋण प्रवाह व अन्य कार्यों की समयबद्ध तरीके से समीक्षा पर जोर दिया गया है तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाएं भी की गयी हैं।

इस संबंध में सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक से पूर्व इन बैठकों का निर्धारित तिथि पर आयोजित करना सुनिश्चित करें।

जून, 2018 त्रैमास की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. बैठकों की निर्धारित तिथि का विवरण :

क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि	क्र.सं.	जिला	निर्धारित तिथि
1	पौड़ी	02.08.2018	**8**	बागेश्वर	24.08.2018
2	रुद्रप्रयाग	08.08.2018	**9**	टिहरी	24.08.2018
3	देहरादून	08.08.2018	**10**	उधम सिंह नगर	29.08.2018
4	पिथौरागढ़	09.08.2018	**11**	अल्मोड़ा	30.08.2018
5	चम्पावत	10.08.2018	**12**	हरिद्वार	19.09.2018
6	चमोली	16.08.2018	**13**	नैनीताल	20.09.2018 (प्रस्तावित)
7	उत्तरकाशी	18.08.2018			

एजेण्डा संख्या - 14 : <u>एस.एल.बी.सी. ऑकड़े</u>

वास्तविक एवं सही एस.एल.बी.सी. आँकड़ों का समय पर प्रेषण

समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों, रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के शासन स्तर पर संदर्भित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित विभाग सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में क्रमश: 40% एवं 60% ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके।

बैंक नियंत्रक भी उनकी शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 15 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****